पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

सीखें-सिखायें
पुस्तिका - 01

नागरिकता, संविधान और पंचायत राज

भारत का संविधान
THE CONSTITUTION OF INDIA
THE PEOPLE OF

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

समर्थन

सामग्री निर्माण टीम

मनीष श्रीवास्तव, राजेन्द्र बन्धु, दिनेश सिंह,
श्याम श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्र तिवारी, संतोषी तिवारी,
नारायण परमार, राजकुमार मिश्रा, राहुल निगम
एवं विनोद चौधरी

सलाहकार मण्डल

अनिर्बान घोष, योगेश कुमार, गौरव मिश्रा,
श्रद्धा कुमार, सुभाष मेदापुरकर, मीनाक्षी सुन्दरम,
श्याम बोहरे, आर.एन. सियाग, दविन्दर कौर
उप्पल, अशोक सिंह एवं दत्ता गुराव

प्रकाशन वर्ष : 2017
कुल प्रतियां : 1000
प्रकाशक : टीआरआईएफ, समर्थन
सहयोग : अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनीशीएटिव्स
मुद्रक : गणेश ग्राफिक्स, भोपाल

यह प्रकाशन मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत राजपुर विकासखण्ड में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित परियोजना के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सभा सदस्यों, महिला समूहों, परिवर्तन प्रेरकों और अन्य सामुदायिक संगठनों की क्षमतावृद्धि के लिये तैयार किया गया है।

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव
सीखें-सिखायें पुस्तिका - 01

नागरिकता, संविधान और पंचायत राज

Azim Premji
Philanthropic
Initiatives

TRI TRANSFORM
RURAL INDIA

स म
र्थ न

मेरे सपनों का भारत

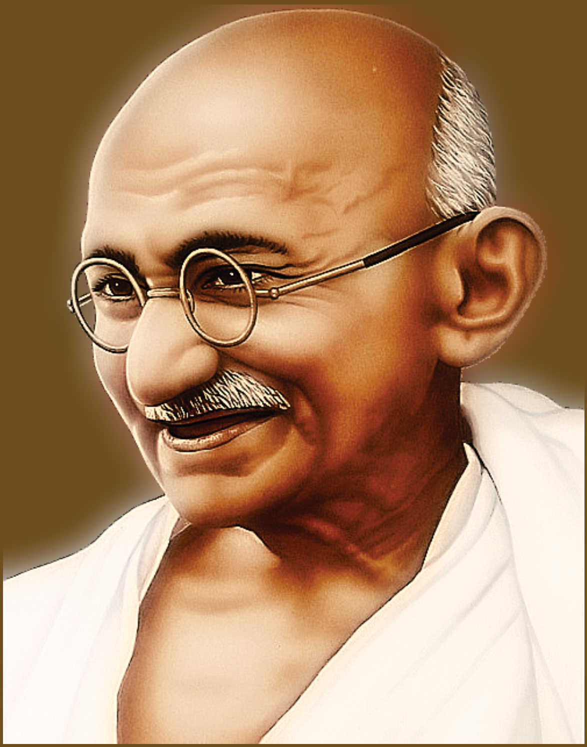

मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें गरीब लोग यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है। जिसके निमार्ण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें उच्च और निम्न वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध सम्प्रदायों में पूरा मेलजोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता वा शराब और दूसरी नशीली चीजों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरूषों को होंगे। शेष सारी दुनिया के साथ हमारा सम्बंध शान्ति का होगा। यह है मेरे सपनों का भारत।

-मोहन दास करमचंद गाँधी

पूज्य बापू को कृतज्ञ राष्ट्र का शत-शत नमन

प्रस्तावना

हम सभी जानते हैं कि भारत इस विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। गाँधी जी का यह कथन कि भारत विविधता का देश है और ग्राम स्वराज से ही देश टिकाऊ प्रगति कर सकता है, आज भी सार्थक है। देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ग्राम स्तर तक पहुँचाने तथा स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिये संविधान में 73वाँ व 74वाँ संशोधन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें चुने हुये प्रतिनिधि आम जनता एवं मतदाताओं के बीच रहकर अपनी भूमिका एवं दायित्व निभाते हैं जो कि एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्वरूप है। संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।

संविधान संशोधन के उपरांत ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम पंचायतें संवैधानिक रूप से उत्तरदायी एवं प्रयासरत हैं। इसी क्रम में अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशन (APPI) के सहयोग से ग्राम स्तर पर समुदाय/पंचायत को केन्द्र में रखते हुए विकास के विभिन्न आयामों – आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा स्वच्छता एवं पेयजल जैसे मुद्दों पर एक एकीकृत कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के कुछ विकासखंडों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश तथा प्रदेश के विभिन्न स्वैच्छिक संगठन एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

विगत ढाई दशकों में ग्राम पंचायतों के पास संसाधन बढ़े हैं तथा युवा नेतृत्व ने अपने अभिनव प्रयासों से स्थानीय स्वशासन एवं विकास के कई उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। परन्तु अभी भी इस दिशा में और अधिक संवहनीय एवं केन्द्रित प्रयासों की आवश्यकता है। हमारा ऐसा मानना है कि यदि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्य एवं दायित्वों से सम्बंधित जानकारी के साथ-साथ सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलेगा तो वे अपनी नियत भूमिकाओं को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने में और भी सक्षम होंगे तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत कर सकेंगे।

अतः पंचायतों को सौंपे गए विभिन्न दायित्वों एवं उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उनकी क्षमतावृद्धि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह पठन सामग्री विकसित की गई है। इस सामग्री को विकसित करते समय विषय विशेषज्ञों द्वारा पंचायत से संबंधित विभिन्न आयामों की जानकारियाँ एवं प्रबन्धकीय ज्ञान की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यह सामग्री पंचायत प्रतिनिधि, जमीनी स्तर के विभागीय कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता एवं आम ग्रामीण नागरिकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। पठन सामग्री तैयार करने में सहभागी अभिशासन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न अकादमी से जुड़े स्रोत व्यक्तियों का उनके बहुमल्य योगदान के लिये हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

आशा है कि यह सामग्री आप सभी को उपयोगी एवं रूचिकर लगेगी।

शुभकामनाओं के साथ

योगेश कुमार
समर्थन

गौरव मिश्रा
टी.आर.आई.एफ.

अनुक्रमणिका

विषयवस्तु	पृष्ठ क्र.
भारत का संविधान और लोकतांत्रिक समावेशी राष्ट्र की आधारशिला	5
मौलिक अधिकार और कर्तव्य	8
संविधान और राज्य के बारे में प्रमुख बातें	12
नागरिकता और मतदाता	13
भारतीय संविधान के जनक डॉ. भीमराव अम्बेडकर	14
पंचायत और सुशासन	15
सुशासन कि आधारभूत घटक	16
विकेन्द्रीकरण और सहभागी लोकतंत्र का महत्व	17
सरकार चलाने और विकास कार्यों के लिये धनराशि कहां से आती है ?	17
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची	17
‘पंच परमेश्वर’	18
सामाजिक समावेश-असमावेश और पंचायती राज व्यवस्था	21
सामाजिक असमावेश के कारण	22
सामाजिक असमावेश की अमानवीय कुप्रथाएं	23
भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले	24
पंचायती राज व्यवस्था और समावेशी समाज	25
एक दलित महिला सरपंच के हौसले की कहानी	29
सरपंच मुन्नी बाई की कहानी	30
पंचलैट (पंचलाइट)	31
महिलाओं के समावेशीकरण के लिए सामूहिक गायन	32

भारत का संविधान और लोकतांत्रिक समावेशी राष्ट्र की आधारशिला

15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंगेजों की गुलामी से आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधान मंत्री बनाये गये। आजादी के बाद देश के सामने यह सवाल उठा कि देश को कैसे चलाया जाये। उसके सिद्धांत, नियम, कानून कैसे हों। किसको क्या जिम्मेदारी दी जाये।

आजाद भारत को चलाने के लिये हमें अपने नियम और कानून चाहिये थे, और यह कानून हमारे देशवासियों द्वारा ही बनाये जाने थे। कानून कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता था, इसलिये एक संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा में कई विद्वान थे और उन्हें शासन और राजनीति की अच्छी समझ थी। इस संविधान सभा के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद थे और डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पूरा दस्तावेज तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई। गहरे विचार-विमर्श और बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान देश के नागरिकों को समर्पित कर दिया गया। इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभुता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।

यह संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के लिये बनाया गया था इसलिये यह जरूरी समझा गया कि सभी देशवासी इसे अंगीकर करें। अत: संविधान की प्रस्तावना में संविधान की मूल भावना और उसके मूल दर्शन को इस प्रकार लिखा गया कि प्रत्येक भारतवासी इसे अपना संविधान माने।

संविधान की प्रस्तावना

भारत के संविधान की शुरूआत उसकी प्रस्तावना से होती है। संविधान की प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें देश का शासन चलाने के सिद्धांतों और स्वरूप का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है –

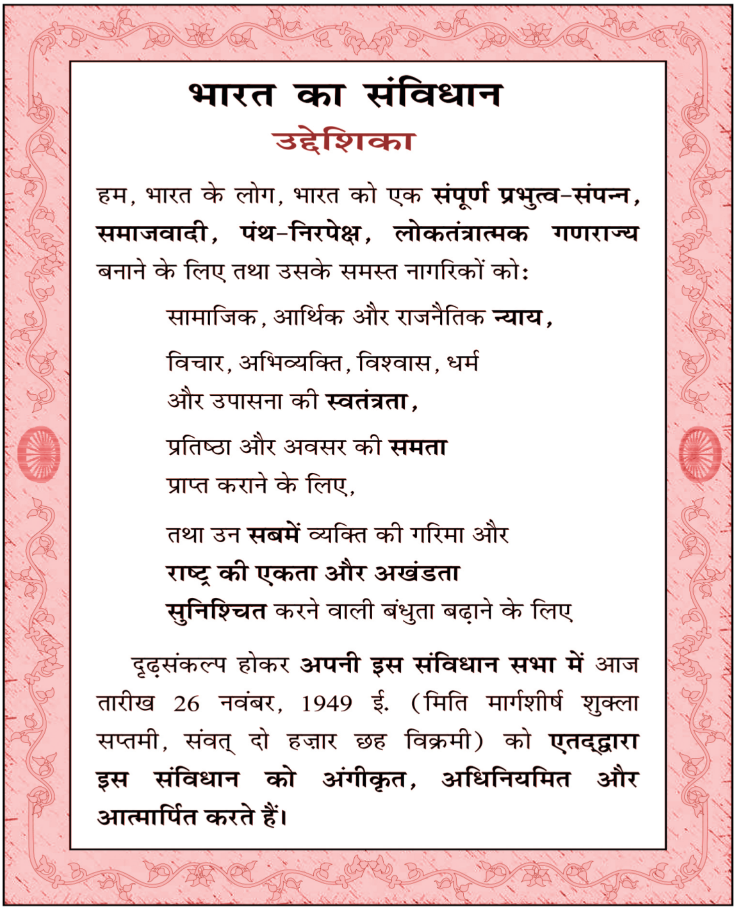

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सबमें** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही स्वतंत्रता के नायकों ने भारत को एक समावेशी देश के रूप में परिभाषित किया। देश की आजादी के लिये जिन लोगों ने संघर्ष किया उसमें गरीब-अमीर, स्त्री-पुरूष, जवान-बूढ़े, हर धर्म के लोग (हिन्दु-मुस्लिम-सिख-इसाई-पारसी......) हर विचार धारा के लोग, गांव और शहर के लोग शामिल थे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी भारत में ऐसे ही समावेशी समाज की परिकल्पना की गई कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरूष, गरीब हो अमीर, हिन्दु हो या मुसलमान या किसी और धर्म का, गांव का हो या शहर का - वह न्याय, समानता, स्वतंत्रता के लाभ से बाहर न रहे।

भारत के संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान की आत्मा का निचोड़ है। यह देश को चलाने के लिये दिशा निर्देश देती है। इसमें स्पष्ट शब्दों में लोगों को विश्वास दिलाया गया है कि हमारा देश एक समावेशी राष्ट्र है। जिसका लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। प्रस्तावना में सभी लोगों की आशा और आकांक्षा के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ, एक स्वतंत्र देश की व्यवस्था के आदर्श रखे गये हैं।

हमारा समाज समता मूलक, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण तभी बनेगा जब हम अपने संविधान की मूल भावना का पालन करेंगे। इसी आधार पर हमारे देश का संविधान बनाया गया है।

विद्वानों द्वारा इस पूरी प्रस्तावना की व्याख्या इस प्रकार की गई है-

"हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागिरकों . . ." का अर्थ है कि - संविधान किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिये नहीं अपितु भारत के हर नागरिक के लिये है और हर नागिरक संविधान के प्रति जिम्मेदार है।

सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न - भारत एक सम्प्रभु देश है। हमारा देश किसी के आधीन नहीं होगा। यह अपना मालिक खुद है और आंतरिक रूप से सर्वोपरी है। भारत अपने सारे निर्णय लेने के लिये किसी भी बाहरी शक्ति या सत्ता से स्वतंत्र है।

समाजवादी - भारत एक समाजवादी लोकतंत्र है जिसमें लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीके से समाजवादी लक्ष्य प्राप्त किये जायेंगे जिससे सामाजिक-आर्थिक असमानता कम होगी।

पंथ निरपेक्ष - का अर्थ है कि शासन और जनता के बीच जो सम्बन्ध है वह संविधान द्वारा निर्धारित होगा किसी धर्म के नियम द्वारा नहीं। शासन के लिये सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्मों को एक समान स्वतंत्रता होगी। हमारा संविधान किसी पंथ या धर्म विशेष के प्रति आग्रही नहीं होगा।

लोकतांत्रिक - देश में लोकतंत्र यानी जनता का शासन होगा। भारत के लोग वयस्क मताधिकार पद्धति से, एक व्यक्ति एक वोट पद्धति से अपनी सरकार खुद चुनेंगे। वोट देने वाले ये 'नागिरक' 'मतदाता' कहलायेंगे। इस समय 18 वर्ष तक के वयस्क को किसी भी चुनाव में अपना वोट देने का अधिकार है।

लोकतांत्रिक शब्द में राजनैतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी शामिल है।

गणतंत्र - का अर्थ है कि राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्रपति एक चुना हुआ व्यक्ति होता है कोई वंशानुगत राजा नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पद्धति से हो सकता है।

न्याय - भारत अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय देने के लिये प्रतिबद्ध है। ऊंच -नीच के आधार पर, जाति व धर्म के आधार पर, गरीबी-अमीरी के आधार पर, किसी राजनैतिक विचारधारा के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई अन्याय नहीं होगा। कानून और न्याय प्रणाली सबके लिये बराबर होगी।

- सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी भी नागरिक से जाति, धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। समाज को हर तरह के शोषण से मुक्त किया जायेगा।
- आर्थिक न्याय से आशय है कि आय और सम्पत्ति

के आधार पर स्त्री और पुरूष में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा बल्कि आर्थिक साधनों का विकेन्द्रीकरण होगा और हर व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिये पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

- राजनैतिक न्याय के अंतर्गत संविधान द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश की राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अधिकार है। इसमें वोट डालने, नियमानुसार चुनाव लड़ने का अधिकार शामिल है।

स्वतंत्रता – "विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता" की व्याख्या है कि सभी लोगों को किसी भी प्रकार के विचार रखने और विचारों को किसी भी रूप में प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता होगी; सभी नागरिकों को किसी भी प्रकार की आस्था रखने या किसी भी धर्म को अपनाने या उसका पालन करने की पूरी आजादी होगी। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उपासना, प्रार्थना पद्धति को गलत नहीं मान सकता। हर भारतीय को किसी भी गतिविधि में भागीदारी करने की स्वतंत्रता है। वे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर कोई अनावश्यक नियंत्रण नहीं है। परन्तु सभी प्रकार की यह स्वतंत्रता संविधान के दायरे में होगी।

समानता – इसका अर्थ है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे। समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार नहीं होंगे। हर व्यक्ति को एक समान अवसर मिलेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिये बेहतर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक जीवन जीने के लिये हर नागरिक को अवसर दिये जायेंगे और इन अवसरों के लिये अनुकूल वातावरण बनाया जायेगा। पहले की तरह केवल जाति के आधार पर कुछ लोगों को मानवीय गरिमा के प्रतिकूल काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

बन्धुत्व – "राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये" यह राष्ट्रीय एकता की भावना के अंतर्गत की गई एक भावना है। इसमें देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी प्रकार की क्षेत्रीयता, सम्प्रदायिता, जातिवाद जैसे घटकों के लिये कोई स्थान नहीं है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी एक धर्म, किसी एक विचारधारा, किसी एक विश्वास या आस्था को आधार बनाकर देश के विरूद्ध काम नहीं करेगा। अलग–अलग राज्य होने के बाद भी सम्पूर्ण भारत एक है और इस अखण्डता को बनाये रखने के लिये विभिन्न राज्यों, विभिन्न भाषा वासियों, विभिन्न धर्मावलम्बियों या किसी भी प्रकार की विभिन्नता लिये लोगों के बीच भाईचारा जरूरी है।

संविधान की प्रस्तावना हमारे देश की संस्कृति और आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।

– स्वतंत्रता समता से

– समता बंधुत्व से

– बंधुत्व स्वतंत्रता से . . अलग नहीं हो सकते।

समता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों को दूसरों से श्रेष्ठता का दर्जा दे देगी, समता स्वतंत्रता के बिना कुछ लोगों को आगे बढ़ने की कोशिश को रोक देगी। भाई चारे के बिना स्वतंत्रता और समता की भावना स्वाभाविक नहीं लगेगी।

मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ
जो स्वतंत्रता, समानता और भाई-चारा सिखाए!
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

मौलिक अधिकार और कर्तव्य

26 जनवरी 1950 को जब संविधान देश के नागरिकों द्वारा अपनाया गया तो संविधान द्वारा सभी नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिये गये, जिससे वे एक सम्मानजनक, समतावान, न्यायपूर्ण और स्वतंत्र नागरिक का जीवन जी सकें। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, प्रस्तावना में उल्लेखित तीन आदर्शों – समता, न्यायशीलता और स्वतंत्रता पर आधारित हैं। लोकतंत्र सुशासन का सबसे बेहतर प्रारूप है जो मूल मानव मूल्यों और न्याशीलता, समता और स्वतंत्रता तथा बंधुत्व जैसे मूल्यों और अधिकारों की गारन्टी देता है।

मौलिक अधिकार

क्र.	मौलिक अधिकार	अधिकार का विवरण	अनुच्छेद
1.	समानता का अधिकार	**कानून के समक्ष समानता का अधिकार** कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है। यानी कानून सबके लिए बराबर है।	अनुच्छेद 14
		भेदभाव पर रोक धर्म, वंश, जाति, जन्म एवं स्त्री-पुरूष के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।	अनुच्छेद 15
		अवसरों की समानता देश के सभी नागरिकों को रोजगार, नियोजन एवं विकास के अवसरों की समानता का अधिकार है।	अनुच्छेद 16
		जो समुदाय पहले से पिछड़े हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जन जाति एवं महिलाओं को आरक्षण के जरिये सरकार विशेष अवसर दे सकती है।	
		छुआछूत की समाप्ति किसी भी व्यक्ति से जाति या अन्य किसी भी आधार पर छुआछूत नहीं की जाएगी। यानी छुआछूत करना अपराध माना गया है।	अनुच्छेद 17
		उपाधियों का अंत सरकार सेना तथा शिक्षा के अलावा कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगी। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।	अनुच्छेद 18
2.	स्वतंत्रता का अधिकार	**अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** देश के सभी नागरिकों को अपनी बात कहने यानी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। साथ ही उन्हें शांतिपूर्ण सम्मेलन करने, संघ या संगठन बनाने, देश में कहीं भी बिना रोक-टोक के जाने-आने तथा कहीं भी निवास करने तथा रोजगार-व्यापार करने का अधिकार है।	अनुच्छेद 19

क्र.	मौलिक अधिकार	अधिकार का विवरण	अनुच्छेद
		अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कोई व्यक्ति किसी 'अपराध' माने जाने वाले कृत्य के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति पर किसी कानून के उलंघन का आरोप सिद्ध न हो गया हो। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। किसी भी आरोपी को न्यायलय में अपने को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी बात कहने का अधिकार है।	
		प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है।	अनुच्छेद 21
		शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार है। अत: सरकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालक-बालिकाओं के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी।	अनुच्छेद 21 क
		गिरफ्तार व्यक्ति को संरक्षण का अधिकार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। साथ ही उसे वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। बगैर मजिस्ट्रेट की अनुमति के पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं रख सकती।	अनुच्छेद 22
3.	शोषण के विरूद्ध अधिकार	**मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम (जबरन श्रम) के विरूद्ध अधिकार** किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती बिना पारिश्रमिक (मजदूरी) दिए काम नहीं कराया जा सकता। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा या मर्जी के बिना अन्यत्र काम पर नहीं ले जाया जा सकता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता। साथ ही मानव दुर्व्यापार को भी अपराध माना गया है।	अनुच्छेद 23
		कारखानों में बच्चों से काम करवाने पर प्रतिबंध 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या इस तरह के अन्य खतरनाक कामों में काम पर नहीं लगाया जा सकता।	अनुच्छेद 24
4.	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	**धर्म को मानने एवं प्रचार का अधिकार** किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है।	अनुच्छेद 25
		धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार किसी भी व्यक्ति या समूह को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार हैं। किसी भी धार्मिक संगठन का गठन करने तथा उसे चल-अचल सम्पत्ति हासिल करने का अधिकार है।	अनुच्छेद 26

क्र.	मौलिक अधिकार	अधिकार का विवरण	अनुच्छेद
		धार्मिक शिक्षा एवं उपासना की स्वतंत्रता सरकार द्वारा संचालित किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किन्तु धार्मिक संगठन द्वारा स्थापित संस्थाओं को अपने धर्म के अनुसार उपासना करने का अधिकार है।	अनुच्छेद 28
5.	संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार	**अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार** अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति एवं जेण्डर के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता।	अनुच्छेद 29
		शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा। शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।	अनुच्छेद 30
6.	संवैधानिक उपचारों का अधिकार	देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार है। हम अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं ☞ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर / मुकदमा करके। ☞ हाईकोर्ट में याचिका दायर / मुकदमा करके। ☞ अपने राज्य में हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट को सीधे पत्र लिखकर। ☞ किसी के द्वारा अपनी याचिका दायर करवाकर। ☞ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर या लिखवाकर। ✍ आयोगों में आवेदन करके – हमारे देश में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न आयोग बनाये गये हैं। जैसे – मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग, महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग।	अनुच्छेद 31

हमारे संविधान में एक ऐसे समाज की कल्पना की गई जिसमें कोई पीछे न छूटे।

मौलिक कर्तव्य

भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को इस आधार पर सम्मिलित किया गया कि कोई भी स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी के अर्थहीन है। अधिकारों के साथ कर्तव्य के बीच सन्तुलन होने से स्वतंत्रता का विस्तार होगा और बेहतर समाज बनेगा। जब नागरिक अपने मूल अधिकारों का उपयोग अपने मूल कर्तव्यों के संदर्भ में करेंगे तो लोगों में एक दायित्व बोध बढ़ेगा। स्वतंत्रता का महत्व कर्तव्यों के पालन से जुड़ा हुआ है। 1976 में संविधान में संशोधन द्वारा कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक सह-संबंध है। हर अधिकार के साथ एक दायित्व जुड़ा होता है। हमारे दायित्व भी हमारे अधिकार है।

हर व्यक्ति की उस समुदाय के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है जिसमें वह रहता है।

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह -

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र्ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
4. देश की रक्षा करे और आव्हान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हों।
6. हमारी सामुदायिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसकी रक्षा करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, और ज्ञानर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ऊँचाईयों की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू सके।
11. माता-पिता या संरक्षक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, बच्चों या प्रतिपाल्य यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को यथास्थिति शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

> *"सभी वांछित अधिकार, दायित्वों के अच्छी तरह से निर्वाह करने से ही सुरक्षित रहते हैं"*
>
> -महात्मा गांधी

संविधान और राज्य के बारे में कुछ प्रमुख बातें

- हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) कानूनों की व्याख्या करता है।

- नागरिकों के अधिकार कानून के माध्यम से लागू किये जाते हैं। कानून सरकार द्वारा बनाये जाते हैं।

- सरकार तीन अंगों से मिलकर बनती हैं –

    - विधायिका – यानी मतदाता जिन्हें चुनते हैं वे विधायिका में बैठते हैं और कानून व नीतियां बनाते हैं। संसद और विधान सभा हमारी विधायिका हैं।

    - कार्यपालिका– जैसे मंत्री परिषद और सरकारी अधिकारी ये कानून लागू करते हैं।

    - न्यायपालिका–यह कानून की व्याख्या करती है। यानी कानून के बारे में यदि कोई अस्पष्टता हो तो न्यायपालिका उसे स्पष्ट करती है। न्यायपालिका संविधान एवं कानून के अनुसार अपने फैसले देती है।

- केन्द्र सरकार जो अधिनियम बनाती है वह संसद से पारित होना जरूरी है। ये अधिनियम पूरे देश में लागू होते हैं। इसी तरह प्रदेश की सरकारें अपनी विधान सभाओं में प्रस्ताव पारित करके अपने प्रदेश के लिए अधिनियम बनाती हैं जो उनके प्रदेशों में लागू होते हैं।

- किन विषयों पर केन्द्र सरकार तथा किन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनायेंगी इसके लिए संविधान में तीन सूचियां बनाई गई हैं। पहली केन्द्रीय सूची, दूसरी राज्य की सूची, तीसरी समवर्ती सूची जिसमें ऐसे विषय हैं जिन पर केन्द्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं।

- स्थानीय निकाय (पंचायत एवं नगरीय स्वशासन) भी स्थानीय स्तर पर एक तरह की सरकार है। इसे संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा लागू किया गया है।

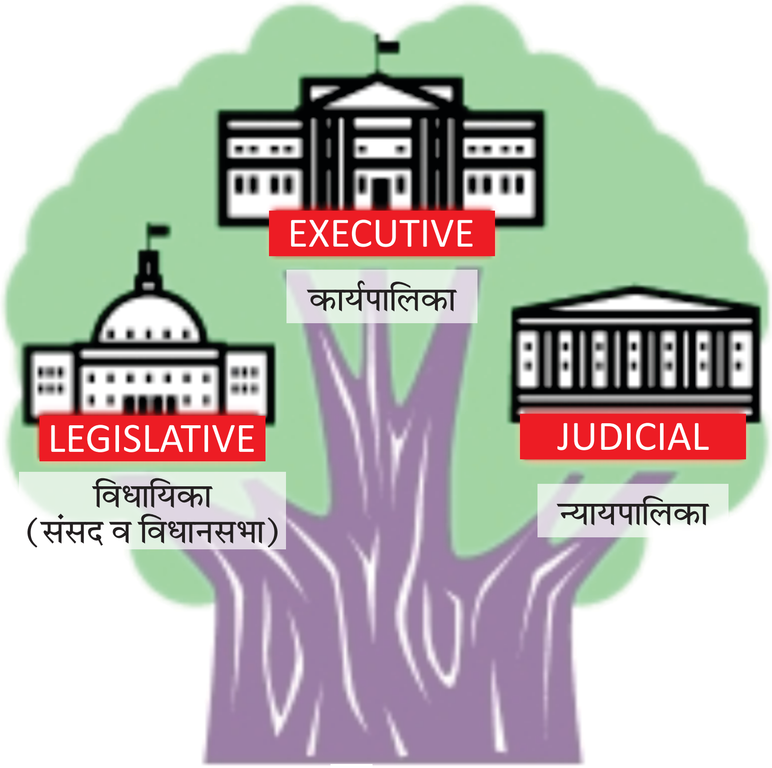

नागरिकता और मतदाता

इस अध्याय में हमने नागरिक और मतदाता, दो शब्दों का उपयोग किया है, केवल देश का नागरिक ही मतदाता हो सकता है। इसलिये जब कोई वयस्क व्यक्ति (18 वर्ष से अधिक) मतदाता के रूप में अपना पंजीयन कराना चाहता है तो उसे अपने नागरिक होने के प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेज देने पड़ते हैं।

नागरिक होने की अनिवार्यतायें

हमें कई कामों के लिए अपनी नागरिकता का परिचय देना होता है। जैसे- स्कूल में बच्चों का नाम लिखवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, जमीन-जायदाद की लिखा-पढ़ी कराना हो, बैंक से कर्जा लेना हो, किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, आदि। कई कामों के लिए जब हम फार्म भरते हैं तो हमें अपनी नागरिकता लिखना होती है, और हम लिख देते हैं कि हमारी नागरिकता "भारतीय" है। इसका मतलब है कि हम भारत के नागरिक हैं।

नागरिकता क्या है? भारत के नागरिक कौन हो सकते हैं?

- जिसका जन्म भारत में हुआ हो।
- जिसके माता या पिता भारत में जन्मे हों।

दूसरे देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति, जो लम्बे समय से भारत में रह रहे हैं वे भी सरकार को विशेष आवेदन देकर भारत के नागरिक बन सकते हैं। जैसे सोनिया गांधी इटली की रहने वाली थीं, राजीव गांधी से शादी करने के बाद वे भारत में रहने लगीं। भारत की नागरिकता पाने के लिए उन्होंने सरकार को आवेदन देकर अनुरोध किया जो सरकार ने मान लिया और इस तरह उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। सरकार की मन्जूरी मिलने पर ही दूसरे देश का कोई नागरिक भारत का नागरिक बन सकता है।

जब किसी दूसरे देश से बहुत अधिक संख्या में प्रवासी शरणार्थी के रूप में आने लगते हैं और नागरिकता के लिये आवेदन करते हैं तो उन्हें नागरिकता देने का मसला गम्भीर हो जाता है और इसके लिये अलग कठोर शासकीय नीति होती है। कोई भी पंचायत किसी भी व्यक्ति को नागरिक होने का प्रमाणपत्र नहीं दे सकती है।

नागरिक और मतदाता में अन्तर

लोकतंत्र में शासन नागरिकों का, नागरिकों के लिए, नागरिकों द्वारा माना जाता है। किन्तु सरकार के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उन्हीं नागरिकों को होता है जिनका नाम सरकार द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में होता है। एक नागरिक मतदाता तभी बन सकता है जब वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसलिए शासन हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का नवीनीकरण करती है ताकि 18 वर्ष तक की उम्र का हर व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।

लोकतन्त्र में नागरिक मिलकर सरकार चलाने के लिए अपना वोट देकर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, विधान सभा और लोक सभा के लिये प्रतिनिधियों को चुनते हैं। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिला-पुरूष, जिनका मतदाता सूची में नाम हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है। सभी मतदाताओं को वोट देने का बराबर का अधिकार है और सभी के वोट का महत्व या मूल्य भी बराबर है। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची समझी जाने वाली जाति का, सभी को किसी भी प्रतिनिधि को चुनने के लिये केवल एक ही वोट देने का अधिकार है।

भारतीय संविधान के जनक डॉ. भीमराव अम्बेडकर

आइये स्वतंत्र भारत के संविधान रचयिता डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन की कुछ बातों को जानें।

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान लेखन के माध्यम से अम्बेडकर जी ने दुनिया के सामने भारत को एक आधुनिक और लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रस्तुत किया। वे न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक के रूप से याद किये जाते हैं।
- अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रेल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान में हुआ। महार (दलित) जाति का होने के कारण उन्हें बचपन से ही स्कूल और स्कूल के बाहर बहुत अपमान सहना पड़ता था। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद अम्बेडकर और अन्य अस्पृश्य बच्चों को विद्यालय में अलग बैठाया जाता था, उनको कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। प्यास लगने पर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी डालता था। आमतौर पर यह काम स्कूल के चपरासी द्वारा किया जाता था, जिसकी अनुपस्थिति में बालक अम्बेडकर को प्यासा ही रहना पड़ता था। उन्हें पानी के बर्तन को स्पर्श करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने इस अनुभव को "ना चपरासी, ना पानी" शीर्षक से लिखते हुए प्रकाशित किया।
- परन्तु उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाकर इस अपमान का सामना करने का निर्णय लिया। वे मैट्रिक पास करने वाले पहले दलित छात्र थे। इसी तरह मुंबई के एक इसाई कालेज में पढ़ने वाले वे पहले दलित विद्यार्थी थे। बाद में उन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र और कानून के विषयों में उच्चतम डिग्री पी.एच.डी. प्राप्त की। अम्बेडकर पेशे से वकील थे। वो 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे।
- डॉ. अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत का 1947 में देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया गया था। वे एक महान समाज सुधारक थे। वे महिलाओं को संसद में आरक्षण दिलवाना चाहते थे। 'वूमन राइट्स बिल' अस्वीकार होने के बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महिला, मजदूर और दलित पर हो रहे सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने और लड़कर उन्हें न्याय दिलाने के लिये उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरूद्ध दलितों के साथ अभियान चलाया, स्त्रियों और मजदूरों के हकों के लिए लड़े। 1942 में अम्बेडकर जी ने नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7 वें सत्र में भारत में काम करने के घंटे को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया था। उनका यह भी मानना था कि संविधान को अल्पसंख्यकों के कल्याण पर विशेष ध्यान देना चाहिये।
- दलितों के प्रति विभिन्न प्रकार के सामाजिक बहिष्कार, अत्याचार, समाज की उनके प्रति दृष्टि से आहत होकर बाबा साहेब ने अपने कई समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। अपनी मृत्यु से तीन दिन पहले उन्होंने अपनी पुस्तक की पांडुलिपि – 'बुद्ध और उनका धम्म' को पूरा किया था।
- 1935-36 में अम्बेडकर ने केवल 20 पृष्ठों में अपनी जीवनी लिखी जिसका शीर्षक है 'वेटिंग फॉर ए वीजा'। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस पुस्तक का इस्तेमाल एक पाठ्य पुस्तक के तौर पर करती है। 6 दिसम्बर 1956 को उनका देहावसान हो गया। भारत में उनका मृत्यु दिवस 'महाप्रयाण' दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1990 में, उन्हें, मरणोपरांत, भारत का सबसे बड़ा नागरिकी पुरस्कार "भारत रत्न" जारी किया गया। आज भी उन्हें आदर से बाबा साहेब कह कर सम्बोधित किया जाता है।

पंचायत और सुशासन

एक आदर्श पंचायत का अर्थ है कि उसके द्वारा गांवों और गांवों के लोगों के विकास की योजनायें पारदर्शी तरीके से, सभी की सलाह से, सभी के हित के लिये बनाई गई हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन भी लोगों की सहभागिता से पारदर्शी तरीके से किया गया है। अर्थात सुशासन एक सफल पंचायत की कुन्जी है।

सुशासन की अवधारणा सभ्यता के इतिहास जितनी ही पुरानी है जिसमें, समय और स्थान के हिसाब से जरूरत के मुताबिक परिवर्तन होते रहे। एक समय सुशासन का अर्थ था कि कठोरता से निर्णय लेना या सबसे प्रभावी और संभ्रांत व्यक्ति द्वारा लिये गये निर्णय को अन्य लोगों पर लागू कर देना। इसलिये ऐसी कहावतें बनी- "लाठी से हांकना" "जिसकी लाठी उसकी भैंस"। हम देखते हैं कि परिवारों में भी प्रायः घर के सबसे बड़ी उम्र के पुरुष द्वारा ही निर्णय लिये जाते हैं। युवाओं द्वारा विरोध करने पर प्रायः वे कहते हैं "क्या हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे", " हमने जिंदगी देखी है", "हमने बाल धूप में सफेद नहीं किये हैं"। किंतु आज परिवार से बाहर गांव में, सबके के लिए किसी भी एक व्यक्ति द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता।

लोकतंत्र के विस्तार ने एक समावेशी सुशासन की सम्भावनाओं को बढ़ाया और समाज में अब तक उपेक्षित लोगों की भागीदारी के अवसरों को बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित किया। यह अवसर हमें संविधान में पंचायती राज के लिए हुए संशोधन ने दिया है।

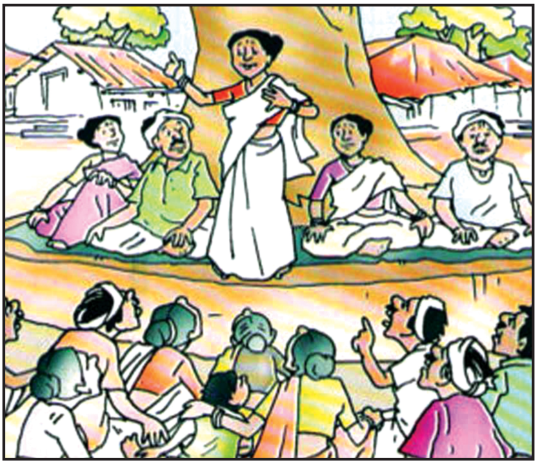

भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने वाला 73 वां संविधान संशोधन भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसने भारत के गांव तक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की है। पंचायत अब गांव में सुशासन की रीढ़ है। 73 वें संविधान संशोधन ने कुछ शक्तिशाली लोगों के हाथ में ताकत देने की जगह कमजोरों को सत्ता में शामिल किया, जिससे मानव अधिकार और ऊंचे मूल्यों वाला समाज बन सके। एक ऐसे समावेशी समाज बनाने की ओर कदम बढाया गया जिसमें कमजोरों की विकास में सहभागिता बढ़ेगी। अब गांव के कमजोर वर्ग - गरीब, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, महिलायें, किन्नर, अल्पसंख्यक, कम पढ़ा-लिखा या अनपढ़, कम जानकारी रखने वाले भी पंचायत में भागीदारी कर रहे हैं।

सुशासन क्या है ?

सुशासन का अर्थ है कि ऐसा शासन जो सभी के हित में बराबरी से न्याय करता है। सुशासन में शासन प्रभावी ढंग से सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करता है और व्यवस्थित रूप में सर्वमान्य एवं स्थापित नियम-कानून से चलता है। एक अच्छे सुशासन का अर्थ है कि जिनके हाथ में सत्ता है वे सत्ता का उपयोग कुछ चुने हुए लोगों के हित में न करके अधिकतम लोगों के हित में इस प्रकार उपयोग में लायें कि आर्थिक विकास के साथ उनका न्यायपूर्ण सामाजिक विकास हो। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने वाली एक व्यवस्था है और विकास अच्छे सुशासन पर निर्भर करता है। सुशासन एक निरन्तर चलने वाली टिकाऊ प्रक्रिया है जिससे

समाज में गरीबी और असमानता का अंतर कम हो सके। इसकी पहचान विकास की केवल कोई एक परियोजना के सुचारु या सफल क्रियान्वयन से नहीं होती।

सुशासन के लिये विकास एक पक्षीय नहीं अपितु जन-केन्द्रित, जनोन्मुखी और जन-मैत्रीय होना चाहिये। विकास के लिये किया गया हर कार्य कई पक्षों से जुड़ा होता है। यह एक वातावरण निर्मित करता है; लोगों में स्वस्थ जीवन के प्रति जागरुकता लाता है; बेहतर जीवन के लिये लोगों को प्रेरित करता है। यह तभी सम्भव है जब विकास के लिये उठाया गया हर कार्य स्थानीय रूप से उपयोगी हो, इसे सहभागिता के आधार पर, लोकतांत्रिक तरीके से, जिम्मेदारी के साथ किया गया हो। पंचायती राज अपने आप में विकास की अंतिम एजेन्सी है। इसलिए पंचायत के विकास की हर योजना सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये होनी चाहिए। यही विकास की अंतिम एजेन्सी का समावेशी सुशासन कहलायेगा। जरूरी है कि विकास का कोई भी कार्य ऐसे नहीं किया जाये कि कुछ लोग पंचायती राज व्यवस्था से कट जायें।

सुशासन के आधारभूत घटक

- **नीति बनाना –** पंचायत में नीति निर्माण का आशय है कि किसी काम को करने से पहले इस पर विचार किया जाये कि गांव के विकास के लिए क्या जरूरी है; क्यों जरूरी है; क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए; आदि। स्वाभाविक ही यह नीति पंचायत पदाधिकारियों द्वारा ग्राम सभा में चर्चा करने के बाद ही बन सकती है।

- **कार्य योजना बनाना –** एक बार नीति बनाने और योजना का निर्णय लेने के बाद काम को कैसे किया जाए, समय-अवधि क्या हो जैसे निर्णय भी व्यवस्थित सुशासन का आधार है।?

- **पारदर्शिता –** सुशासन में लोगों को पता रहना चाहिए कि उनकी पंचायत क्या कर रही है। इसकी पहल पंचायत को ग्राम सभा बुलाकर, अपने सारे दस्तावेजों का समाजिक अंकेक्षण करवाकर, सूचनाएं जारी करके करना चाहिए। पंचायत के कामकाजों में खुलापन होना चाहिए।

- **उत्तरदायित्वता और दायित्वता –** पंचायत जो काम कराती है उसकी सारी जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए। यदि कोई काम घटिया हुआ है अथवा अपूर्ण या अनुपयोगी है तो पंचायत इसके लिये जिम्मेदार है। पदाधिकारियों द्वारा दायित्वों का स्पष्ट निर्वाह भी होना चाहिए।

- **सशक्त सतत निगरानी –** विकास के लिए किए जाने वाले सारे कार्य, चाहे वे भौतिक हों या सामाजिक इनकी सतत निगरानी आवश्यक है। काम हो रहा है या नहीं, कैसा हो रहा है, क्या परिवर्तन चाहिए आदि।

- **सम्पूर्ण विकास –** गांव का विकास केवल भौतिक विकास नहीं अपितु मानव विकास की प्रक्रिया है। भौतिक विकास के साथ मानव विकास की गणना करना -जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के प्रति घरेलू और बाहरी हिंसा, दलितों के प्रति कोई सामाजिक हिंसा आदि।

- **सरपंच के अलावा अन्य पंचों के दायित्व –** पंचायत में सुशासन का अर्थ यह भी है कि सभी पदाधिकारियों में जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा हो।

- **ग्राम सभा की नियमित बैठकें –** पंचायती राज व्यवस्था के तहत वर्ष में ग्राम सभा की चार बैठकें अनिवार्य की गई है। परंतु पंचायत पदाधिकारी या ग्राम सभा द्वारा इन चार के अलावा भी आवश्यकतानुसार बैठकें बुलायी जा सकती हैं। कोशिश होनी चाहिए कि पूरे मतदाताओं को ग्राम सभा में आने की उत्सुकता रहे। पदाधिकारियों को ग्राम सभा में उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए, विशेषकर महिलाओं, दलित वर्ग के लोगों तथा कम भागीदारी करने वाले लोगों को आवाज उठाने

को प्रेरित करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए जिससे वे अपने आपको सशक्त मानते हुए निर्णय में शामिल हों। ग्राम सभा में उपस्थिति तभी बढ़ सकती है जब विभिन्न वर्गों, आम लोगों को अलग-अलग जरूरतों पर चर्चा के लिये बुलाया जाये और उन्हें निर्णयों में शामिल किया जाये।

सुशासन के लिए कुछ प्रयास

- ☞ पंचायत और शासकीय प्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि के लिए आयोजित प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- ☞ सुशासन को लेकर समय-समय पर विचार विमर्श करना।
- ☞ योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में कराना।
- ☞ ग्रामीण व्यवस्था में कमजोर वर्गों की स्थिति को सुधारना।
- ☞ जनता में जागरुकता लाना और अच्छे ईमानदार लोगों को पंचायत में आने के लिए प्रेरित करना।

विकेन्द्रीकरण और सहभागी लोकतंत्र का महत्व

स्थानीय स्तर पर शासन चलाने के दो तरीके हो सकते हैं - एक तो गांव में या मोहल्ले में जो कार्य करना है वह दिल्ली से तय हो। इस तरीके को केन्द्रीकरण कहते हैं। दूसरा तरीका है कि जो कुछ गांव या मोहल्ले में होना है उसे स्थानीय लोग तय करें, इस तरीके को विकेन्द्रीकरण कहते हैं। दोनों ही तरीकों के कुछ लाभ और कुछ हानि है। पूरे देश के स्तर पर कुछ कामों में एकरूपता लाने के लिए केन्द्रीकरण जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिये भारतीय रेल का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए तो हजारों रेलवे स्टेशनों के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल हो जायेगा, ऐसे और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि पूरे देश के लिये पीने के पानी या शव को जलाने के लिए लकड़ियों का इन्तजाम भी दिल्ली से होने लगे तो सोचो कितनी परेशानी हो जायेगी। इस तरह की समस्याओं के मद्देनजर ज्यादातर व्यवस्थाओं में विकेन्द्रीकरण को अच्छा माना गया है। शासन चलाने में जो व्यवस्था जितनी लोकतान्त्रिक होगी वह उतनी अधिक विकेन्द्रीकृत होगी। कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से केन्द्रीकृत या पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत नहीं होती, अधिक या कम हो सकती है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की शासन व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत तरीके से चलाने की एक बड़ी कोशिश है।

73वे संविधान संशोधन से पंचायतों में भी लोक सभा और विधान सभा की तरह हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य हो गया है। विकेन्द्रीकरण को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन से पहले मध्य प्रदेश में शासन और कार्यों के निर्णय प्रदेश की विधान सभा के 230 विधायकों के द्वारा लिये जाते थे। पंचायत राज आने से अधिकांश कामों के निर्णय 51 जिला पंचायत, 350 के लगभग जनपद पंचायत और 23000 से अधिक ग्राम पंचायतों के 3 लाख 60 हजार से अधिक चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिये जाने लगे हैं। ग्राम पंचायतों में तो यह व्यवस्था और भी विकेन्द्रीकृत है। ग्राम पंचायत में क्या-क्या काम होना है यह निर्णय ग्राम सभा सदस्यों के द्वारा लिये जाते हैं। इसके अलावा पंचायत द्वारा करवाए गये कार्यों और आय-व्यय पर निगरानी का अधिकार भी ग्राम सभा को दिये गये हैं।

सरकार चलाने और विकास कार्यों के लिये धनराशि कहां से आती है ?

कोई भी सरकार बगैर धन राशि के नहीं चल सकती। विकास एवं निर्माण कार्य जैसे- सड़क निर्माण, पुल निर्माण, बच्चों के लिए स्कूल खोलना, मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनायें सभी बगैर धनराशि के संभव नहीं है। सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन के लिये भी धन राशि की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों के लिये धन राशि सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न करों (टैक्स) के माध्यम से एकत्र होती है। अब सवाल यह है कि सरकार को टैक्स कौन देता है? आमतौर पर कुछ

लोग अपनी आय में से सरकार को टैक्स देते हैं। परन्तु वे लोग भी अप्रत्यक्ष रूप सरकार को टैक्स देते हैं, जिनकी आय बहुत कम होती है।

सरकार द्वारा लगाए गए करों में से एक कर है वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं पर कर। यानी जब हम कोई सामान बाजार से खरीदते हैं और उसके लिए जो कीमत अदा करते हैं, उसमें कर भी शामिल होता है। सरकार अलग-अलग चीजों पर अलग-अलग दर से कर लगाती है। इस तरह हम देखते हैं कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी सरकार को कर देता है। कर के रूप में एकत्र यही राशि सरकार चलाने और विभिन्न

भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची

भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची को 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस सूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। इस सूची में शामिल विषय इस प्रकार हैं -

1. कृषि विकास एवं विस्तार।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल-प्रबंधन एवं जल विभाजन विकास।
4. पशुपालन, डेयरी उद्योग एवं कुक्कुट पालन।
5. मछली पालन।
6. सामाजिक वानिकी एवं उद्यान वानिकी।
7. लघु वनोपज।
8. लघु उद्योग, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं।
9. ग्रामीण आवास।
10. खादी, ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग।
11. पीने का शुद्ध पानी।
12. ईंधन एवं पशु चारा।
13. ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी शामिल है।
14. सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जल मार्ग (नहर) एवं संचार के अन्य साधन।
15. गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा भी सम्मिलित है।
18. तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रोढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय
21. सांस्कृतिक गतिविधियां
22. बाजार एवं मेले
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी शामिल हैं
24. परिवार कल्याण
25. महिला और बाल विकास
26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है।
27. समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव।

'पंच परमेश्वर'

'पंच परमेवर' कहानी मुंशी प्रेमचंद ने आज से 100 साल पहले 1816 में लिखी थी। उस समय पंचों का चुनाव गांव के लोग ही परस्पर सहमति से चुनकर कर लेते थे।

जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। कुछ लेन-देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गये थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गये थे। इसी प्रकार अलगू जब कभी बाहर जाते, तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान-पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता; केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूलमंत्र भी यही है।

जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला (मौसी) थी। उसके पास कुछ थोडी-सी जमीन थी, परन्तु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लम्बे-चौड़े वादे करके वह जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तब तक खालाजान का खूब आदर-सत्कार किया गया। परन्तु रजिस्ट्री होते ही जुम्मन और उसके परिवार ने खाला का ध्यान रखना छोड़ दिया। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा – "बेटा! तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा। तुम मुझे रूपये दे दिया करो, मैं अपना पका-खा लूंगी।" जुम्मन की पत्नी खाला को ताने देने लगी और एक दिन जुम्मन ने भी कह दिया – "कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आयी हो?" खाला बिगड़ गयीं, उन्होंने पंचायत बुलाने की धमकी दी। जुम्मन ने हँसते हुए कहा – "हां, जरूर बुलाओ पंचायत।"

इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिये आस-पास के गांव में अपना दुखड़ा सुनाने के लिये दौड़ती रहीं। चारों ओर से घूम-घाम कर खाला जुम्मन के दोस्त अलगू चौधरी के पास आयी। बोली – "तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना।" अलगू ने पहले तो टालमटोल की फिर कहा – "आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता।" मौसी ने जैसे अलगू चौधरी की आत्मा को ललकार कहा – "बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?"

संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही दरी बिछा रखी थी। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के-तम्बाकू आदि का प्रबंध भी किया था। अलबत्ता वह स्वयं अलगू चौधरी के साथ जरा दूरी पर बैठे हुए थे। जब सूर्य अस्त हो गया तो, पंचायत शुरू हुई। पंच लोग बैठ गये, तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की– "पंचो, आज तीन साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भान्जे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे जिंदगी भर रोटी-कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो-धोकर काटा, पर अब मुझे न पेट भर रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेबस विधवा हूं। कोर्ट-कचहरी नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलूंगी। रामधन मिश्र, गांव के प्रभावी व्यक्ति थे उन्होंने जुम्मन शेख से पूछा – जुम्मन मियाँ, किसे पंच बनाते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो। फिर जो कुछ पंच कहेंगे, वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को लगा कि सारा गांव तो उनके प्रभाव में है इसलिये उन्होंने "खाला से कहा तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो, पंच बना दो।" खालाजान बोलीं – "पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन। मैं अलगू चौधरी को अपना पंच बनाती हूं।" जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, उन्हें विश्वास था कि अलगू चौधरी उनके बचपन का दोस्त है, अतः फैसला उनके हक में ही आयेगा। उधर अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। बोले– "खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है।" खाला ने गम्भीर स्वर में कहा– "बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में परमेश्वर बसता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है, वह भगवान की तरफ से निकलती है।" अलगू चौधरी बोले–"शेख जुम्मन! तुमको पंच से जो कुछ अर्ज करनी है, करो। जुम्मन को लगा कि अलगू यह सब दिखावे की बात कर रहा है। फैसला तो उसके ही पक्ष में आयेगा। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह

शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। दोनों पक्ष को सुनकर अलगू ने फैसला सुनाया– "जुम्मन शेख ! पंचों ने इस मामले में खालाजान को माहवार खर्चा दिये जाना का फैसला दिया है।" इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। गांव के लोगों ने अलगू चौधरी की इस नीति–परायणता की जी खोलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा– इसी का नाम पंचायत है। दोस्ती, दोस्ती की जगह है, परन्तु धर्म का पालन करना सबसे बड़ी बात है।

जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद ही अलगू चौधरी की शानदार बैल जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा – यह दगाबाजी की सजा है। अब अकेला बैल किस काम का? यह तय किया गया कि अकेले बैल को बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वह इक्का–गाड़ी हाँकते थे। गांव से घी, गुड़ लादकर मंडी ले जाते, वापसी में मंडी से तेल, नमक भरकर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन ललचाया। एक महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा। समझू साहू ने नया बैल पाया, तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में तीन–तीन, चार–चार, खेप लगाने लगे। न बैल के चारे की फिक्र थी, न पानी की। बेचारा जानवर दम भी नहीं ले पाता कि उसे कि फिर से जोत दिया जाता। अलगू चौधरी के घर तो छः–छः माह में कभी बहली में जाते थे। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली और यही नहीं, कभी–कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम–सबेरे एक आदमी खरहरे करता, पौंछता और सहलाता था। कहां वह सुख–चैन, कहां यह आठों पहर की गुलामी। महीने भर में ही हड्डियां निकल आयी थीं। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर नहीं उठ पा रहा था। पर साहू जी कोड़े बरसाने लगे। बस, फिर क्या था बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अबकी बार वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर नहीं उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़ कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है?

इस घटना को हुए कुछ महीने बीत गये। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और उसकी पत्नी दोनों उल्टी बातें करने लगते – "वाह ! यहां तो सारे जन्म की कमाई लुट गयी, सत्यानाश हो गया, इन्हें बैल के दाम की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं ! गांव के भलेमानुस ने दोनों को समझाया कि पंचायत कर लो। जो कुछ तय हो जाय, उसे स्वीकार कर लो। पंचायत बैठ गयी, तो गांव के बुजुर्ग ने दोनों पक्षों से पूछा बोलो किस–किस को पंच बनाते हो? समझू साहू खड़े हुए और कड़क कर बोले मेरी ओर से जुम्मन शेख। उन्हें लगा कि जुम्मन अलगू चौधरी से पहले से चिढ़ते हैं तो फैसल उनके ही हक में आयेगा। उधर जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक्–धक् करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। उन्हें लगा कि जुम्मन शेख खालाजान के फेसले का बदला जरूर लेगा। जुम्मन शेख के मन में भी पंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा, वह देववाणी के समान है। मुझे सत्य से तिल मात्र भी भटकना उचित नहीं।

पंच ने दोनों पक्षों से सवाल–जवाब करने शुरू किये। बहुत देर तक दोनों दल अपने–अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया– "अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। उचित है कि समझू साहू बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया, उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिये जाते, तो आज यह समस्या नहीं आती। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे कठोर परिश्रम कराया गया और उसके चारा–पानी का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया।" रामधन मिश्र बोले– "समझू ने बैल से जान–बूझ कर अधिक काम कराया और उसे पेट भर दाना–पानी भी नहीं दिया, जिससे बैल मर गया, अतः समझू साहू से दंड भी लेना चाहिए।" जुम्मन बोले– "यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं।" अलगू चौधरी फूले न समाये। उठ खड़े हुए और ज़ोर से बोले– "पंच–परेमश्वर की जय !" इसके साथ ही चारों ओर से आवाज गूंजी– "पंच–परमेश्वर की जय !" थोड़ी देर के बाद जुम्मन, अलगू के पास आये और उनके गले लिपट कर बोले– "पंच–परमेश्वर की जय !"

सामाजिक समावेश-असमावेश और पंचायती राज व्यवस्था

समावेशीकरण और अ–समावेशीकरण (समाज की मुख्यधारा से कटाव) सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं जो समाज के ताने–बाने से बनी है और आगे के ताने–बाने को प्रभावित करती है।

पारम्परिक समाज में उच्च जाति के संभ्रांत पढ़े–लिखे पुरूष विभिन्न क्षेत्रों के निर्णयों में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं–वे क्षेत्र चाहे राष्ट्र संबंधी हों या समाज संबंधी; आर्थिक हों या राजनैतिक; शिक्षा से जुड़े हों या खेती से। हर तरह के परिवारों में भी पारिवारिक निर्णय – जैसे शादी, भवन निर्माण, घर का खर्च आदि के निर्णय भी पुरूष ही लेते रहे हैं। यहां तक कि घर में भोजन क्या बनेगा यह भी पुरूषों की मर्जी पर निर्भर करता, भले ही भोजन बनाने का काम महिलाएं करती।

इसका अर्थ यह है कि देश और समाज के बारे मे कोई निर्णय लेने का अधिकार दलितों, आदिवासियों, गरीबों, अनपढ़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को नहीं था। जब किसी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में इनकी भागीदारी नहीं थी तो इनका कोई सामाजिक सम्मान भी नहीं था। इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को दोयम दर्जे का माना जाता, इस तरह ये दोयम दर्जे के नागरिक यानी कम महत्वपूर्ण माने जाते। इससे समाज और देश का एक तरफा और असंतुलित विकास हो रहा था। आधी आबादी की सामाजिक उपयोगिता को नकारा जा रहा था। जरूरी था कि ऐसे सभी लोगों का सामाजिक समावेश हो।

सामाजिक समावेश का सरल अर्थ है कि विकास कि प्रक्रिया में समाज के हर व्यक्ति को शामिल करना। व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरूष या किन्नर हो; हिन्दू हो या मुसलमान या किसी और धर्म का वह विकास की प्रक्रिया में पीछे न छूटे। वह स्वंय को किसी तरह से उपेक्षित महसूस न करे।

सामाजिक समावेश – किसी समूह के लोगों को समाज के अन्दर अपने आपको महत्वपूर्ण और उपयोगी मानने की एक गतिविधि है। हर व्यक्ति को और हर समूह को रोजगार, घर, स्वास्थ सुविधा, शिक्षा, कौशल विकास के सारे अवसर मिलें। उनकी जीविका टिकाऊ रहे और सभी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति निरन्तर होती रहे। परंतु यह केवल भौतिक अभाव कम करने की स्थिति नहीं है। यह उससे आगे सामाजिक न्याय की धारणा है। सामाजिक समावेश का अर्थ मात्र विकास की मुख्यधारा से वंचित समाज को जोड़ना ही नहीं है अपितु उनके लिये सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय की परिस्थितियां बनाना है।

सामाजिक समावेश लोगों द्वारा विविधता को स्वीकार करने और विविधता को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए की जाने वाली एक समर्थनात्मक, सकारात्मक और पहल करने वाली प्रक्रिया है।

सामाजिक समावेश एक प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति के लिए समस्त सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की स्थितियों को बेहतर बनाया जाये। विशेषकर उन व्यक्तियों के लिये अवसर बढ़ाने, उनकी आवाजों को महत्व देने, उनको सम्मान देने, उन्हें संसाधन देने के प्रयास हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से कम अवसर मिले हैं। सामाजिक समावेश का एक बड़ा उद्देश्य यह है कि कोई पीछे न छूटे।

सामाजिक असमावेश – एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें क्रमशः कुछ व्यक्तियों और समूहों को उन सामाजिक सम्बन्धों और संस्थानों में सम्पूर्ण भागीदारी से विमुख कर दिया जाता है जिसमें वे रहते हैं। सामाजिक रूप से बहिष्कृत होना केवल गरीब होना नहीं है अपितु अन्य सुविधाओं और अवसर से वंचित होना भी है। जैसे अच्छी शिक्षा से वंचित होना, स्वास्थ्य सुविधा ना मिलना. बेघर होना, सार्वजनिक सामाजिक सुविधाओं के उपयोग से वंचित किया जाना।

सामाजिक असमावेश केवल एक स्थिति नहीं है बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। समावेश की प्रकिया में ही असमावेश की प्रक्रिया शामिल है। हर समावेश की कोशिश में कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, इस तरह क्रमशः पीछे छूटे लोग असमावेशी के रूप में एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक असमावेश एक स्थाई स्थिति नहीं है अपितु गतिशील है। अलग–अलग लोग अलग–अलग समय में विभिन्न कारणों से किसी अवसर और सुविधा से बाहर हो जाते हैं। यह धर्म, भाषा, सामाजिक हैसियत से भी प्रभावित होता है। सामाजिक असमावेश एक व्यक्ति या पूरे समूह, पूरी जाति समूह या समाज के लिये हो सकता है। असमावेशी समूह में दलित, आदिवासी, महिलाएं, गरीब, बेरोजगार, बेघर, माने जाते हैं। असमावेशी उपेक्षित हो जाते हैं और उन्हें बेचारे जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। हम देखते हैं कि सामाजिक असमावेश सामाजिक समरसता को प्रभावित करता है और भावनात्मक और सम्बन्धों के आधार पर समाज कई वर्गों में बट जाता है।

किसी दलित या अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को उच्च जाति या बहुसंख्यक मोहल्ले मे रहने के लिए घर न मिलना भी सामाजिक असमावेश का एक रूप है। अच्छी शिक्षा से वंचित होना, स्कूल में पीछे बैठाया जाना, दलित बच्चों को स्कूल में मध्यान्ह भोजन में अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाना। स्वास्थ्य सुविधा ना मिलना, बेघर होना, सार्वजनिक सामाजिक सुविधाओं जैसे पीने का साफ पानी आदि के उपयोग से वंचित किया जाना।

सामाजिक असमावेश के कारण

पूर्वाग्रह – समाज के कुछ समूह दूसरे समूह के प्रति कई पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। यह पूर्वाग्रह व्यक्तिगत भी हो सकते हैं या दूसरों के भड़काने से भी बन जाते हैं। इससे कुछ छोटे समूहों को सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है। इससे समाज की एकता प्रभावित होती है।

सामाजिक अनबन – परस्पर जातिगत या धार्मिक असहमति के कारण शक्तिशाली समूह कमजोर समूह के सामाजिक अधिकारों पर बंदिश लगा देता है। ऐसी स्थिति हमारे संविधान की मूल भावना – सामाजिक न्याय को प्रभावित करती है। कट्टरवादी धार्मिकता, कट्टरवादी जातिवाद भी सामाजिक असमावेश का आधार है।

सरकारी नीतियाँ – कई बार सरकारी कार्यक्रम या नीतियां भी ऐसी होती हैं कि कुछ लोग विकास और अवसरों की सुविधा से बाहर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि यह नियम बनता है कि केवल पढ़े–लिखे लोग ही पंचायत में चुनाव लड़ सकते हैं तो बहुत सारे लोग लोकतंत्र में भागीदारी से वंचित रह जायेंगे। इसमें गरीब अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि वे कई पीढ़ियों से अपने बच्चों को विभिन्न कारणों से पढ़ने नहीं भेज सके थे। आधार कार्ड न होने के कारण किसी गरीब को सस्ता अनाज न मिलना और भूख से उसकी मृत्यु हो जाना।

सामाजिक बहिष्कार एक व्यक्ति या समाज के लिये हो सकता है। किसी भी तरह का सामाजिक बहिष्कार लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित करता है और सामाजिक समरसता को प्रभावित करता है। भावनात्मक आधार पर समाज कई वर्गों में बट जाता है।

सामाजिक असमावेश की अमानवीय कुप्रथाएं

मैला ढोना, मरे हुए पालतू दुधारू पशुओं का चमड़ा निकालना और छुआ-छूत सामाजिक असमावेश की अमानवीय कुप्रथाएं हैं। भारत में सदियों से कुछ जातियों से ऐसा काम कराया जाता रहा है जिसे किसी भी सभ्य समाज को नहीं कराना चाहिए। जाति प्रथा के कुचक्र में जकड़े समाज में सामाजिक रूप से सबसे नीचे स्थित जाति द्वारा समाज के अन्य वर्गों के घरों से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा चल रही थी। भारत सरकार ने इसे बंद करने के लिये 1993 में 'सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम' लागू किया जिसके तहत प्रावधान किया गया था कि जो भी व्यक्ति यह काम करवाएगा उसे एक वर्ष के कारावास और दो हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा का दण्ड भुगतना पड़ सकता है। सरकार द्वारा इस काम में संलिप्त लोगों के बच्चों को अच्छा सामाजिक वातावरण देने, साक्षर और शिक्षित बनाने के प्रयास भी किए गये हैं। सरकार ने इसके लिए बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति तक देने की योजना चलाई है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इसे रोका नहीं जा सका। इसी वजह से यह जाति कभी भी सामाजिक सम्मान नहीं पा सकी और विकास की प्रक्रिया में असमावेशी बनी रही।

महात्मा गांधी ने मैला उठाने की कुप्रथा पर दुखी होते हुए अपने एक लेख में लिखा था “अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो में चाहूँगा की मैं मैला उठाने वाले किसी परिवार में जन्म लूँ जिससे मैला ढोने की अमानवीय, घृणित और बीमार करने वाली कुप्रथा से उन्हें मुक्ति दिला सकूं।”

इसी तरह एक दूसरी जाति के पुरूष पालतू दुधारू मरे हुए पशुओं के शरीर का चमड़ा निकालने का काम सदियों से कर रहे हैं। आर्थिक - सामाजिक कारणों से उन्हें जीविका के बहुत कम दूसरे विकल्प मिले।

आज भी ग्रामीण और कसबई समाज मे छुआ-छूत है। राजनैतिक दिखावे के लिए कुछ नेता दलितों के घरों में भोजन कर लेते हैं परंतु जब दलितों के साथ व्यापक भेदभाव होता है तो समाज से खुलकर बात नहीं करते।

हम सब एक हैं।

भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले

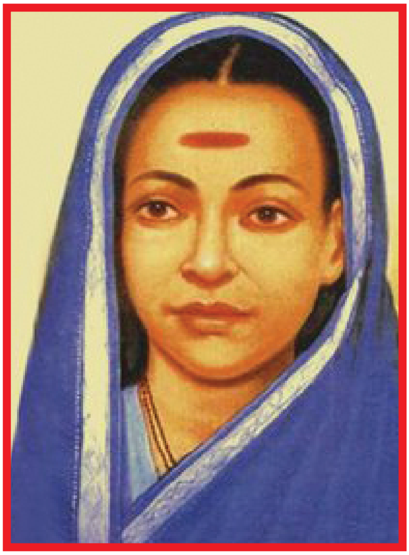

आइये हम भारत की एक ऐसी दलित महिला की कहानी को जानें जिसकी जीवनी बतलाती है कि अगर महिलाओं को अवसर मिले, परिवार से सहयोग मिले और वे अपने मन में ठान लें तो समस्त विरोधों के बाद भी वे समाज को बदल सकती हैं। यह महिला थीं सावित्री बाई फुले।

सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पूना नगर के पास एक गांव में हुआ था। वे माली जाति से थीं। उस समय की जाति प्रथा के अंतर्गत माली जाति सम्मान जनक नहीं मानी जाती थी। यह नीचे स्तर की जाति कहलाती थी। उस समय के रिवाज के अनुसार, सावित्री बाई का विवाह बहुत कम उम्र में ज्योति बा फुले के साथ हो गया था। ज्योति बा फुले की पढ़ने-लिखने में गहरी रूचि थी। उन्होंने उस समय के सामाजिक और पारिवारिक विरोध के बावजूद अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को घर में ही पढ़ाया लिखाया।

उस समय लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था और लड़कियों के लिये पर्याप्त स्कूल भी नहीं थे। पिछड़े वर्ग की बच्चियों को तो बिल्कुल भी स्कूल जाकर पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अत: ज्योति बा फूले ने लड़कियों के लिये 1848 में पूना के भिड़े में एक स्कूल खोला। दलित लड़कियों के स्कूल के लिए कोई शिक्षक नहीं मिला तो ज्योति बा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को पढ़ाने का काम सौंपा। इस तरह सावित्री बाई फूले 17 साल की उम्र में, देश की पहली महिला शिक्षिका बन गईं। इस स्कूल में दलित लड़कियों के साथ कुछ ब्राम्हण लड़कियों ने भी पढ़ना शुरू किया। सावित्री बाई फूले का बहुत विरोध हुआ। उन पर पत्थर और कीचड़ फेंका गया, उन्हें चोटें भी लगीं, पर वे अपने निर्णय से नहीं डिगीं। बाद में एक मुस्लिम महिला फातिमा शेख उनकी सहयोगी शिक्षिका बनीं। इस तरह सावित्री बाई देश की पहली महिला शिक्षिका बनी।

सावित्री बाई फुले ने लड़कियों में शिक्षा को बढ़ाने का काम तो किया ही इसके साथ ही, बाल विवाह का विरोध भी किया और विधवा विवाह के पक्ष में आवाज उठाई। उन्होंने अपने पति ज्योति बा फुले के साथ मिलकर विधवाओं के सिर न मूड़ने के लिये पूरे महाराष्ट्र के नाइयों को सहमत किया। ज्योति बा फुले हर कदम में उनके साथ थे। अपने पति की मृत्यु के बाद भी सावित्री बाई समाज सुधार का काम करती रहीं। उनकी मृत्यु प्लेग महामारी में लोगों की मदद करते हुए हुई। वे 19वीं सदी की एक महान समाज सुधारक महिला थीं। हर वर्ष 3 जनवरी को उनके जन्म दिवस पर उन्हें याद किया जाता है।

पंचायती राज व्यवस्था और समावेशी समाज

हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को एक समावेशी देश के मण्डल के रूप में अपने नागरिकों को सौंपा। परन्तु इस मण्डल का पूरे देश में व्यवहार में उतरना तब ही संभव है जब पंचायत स्तर तक समाज समावेशी हो। अर्थात पंचायत के हर कार्यक्रम में, पंचायत द्वारा बनाई गई विकास की हर योजना में हर वर्ग के स्त्री–पुरूष को शामिल किया जाये। यदि गांव मे एक भी किन्नर या अल्पसंख्यक हो तो भी उसकी उपेक्षा न की जाये, उनकी जरूरत को विशेष रूप में समझा जाये, उनके विचारों और अनुभवों को महत्व दिया जाये।

73वें संविधान संशोधन द्वारा मिली नई पंचायती राज व्यवस्था ने नये भारत के निर्माण के लिये हर नागरिक की प्रभावी सहभागिता को एक अद्वितीय मौका दिया। इस संशोधन ने यह स्थापित किया कि एक सही स्वराज और सुशासन केवल कुछ पहले से सशक्त, संभ्रांत, शिक्षित पुरूषों के हाथ में सत्ता रहने से नहीं आ सकता। इसमें समाज के अभी तक के दबे – कुचले, वंचित, कमजोर जाति के लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। इसमें महिलाओं की भागीदारी जरूरी है क्योंकि वे समाज की आधी जनसंख्या हैं।

पारम्परिक पंचायती व्यवस्था – पारम्परिक समाज में गाँव के कुछ प्रभावी बुजुर्ग, पैसे वाले, संभ्रांत, या पढ़े–लिखे पुरूष पंचायत के सदस्यों को चुनते थे। इन्हें लगता था कि ये दूसरों से अधिक क्षमतावान हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं, इनकी पहुँच ऊपर तक है, ये कोई भी काम करवा सकते हैं। ऐसे लोग गरीबों, दलितों, निरक्षरों या कम पढ़े–लिखे लोगों और महिलाओं से कभी परामर्श करने की कोई कोशिश भी नहीं करते थे या दूसरे शब्दों में उन्हें परामर्श करने के लायक भी नहीं समझते थे। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों का लोकतंत्र में या साधारण लोगों के साथ बातचीत कर के निर्णय लिए जाने पर कोई विश्वास नहीं होता था।

नई पंचायती राज व्यवस्था – इस व्यवस्था ने आरक्षण द्वारा साधनहीनों, अनुसूचित जाति–जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए संख्या तथा पदों का आरक्षण निश्चित करके पंचायती लोकतंत्र और सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों ने महिलाओं का आरक्षण 50 प्रतिशत तक कर दिया। इस तरह पंचायती राज सामाजिक समावेश एक आदर्श लोकतंत्र का प्रतीक बन गया।

परंतु इस विश्लेषण की जरूरत है कि क्या संवैधानिक संशोधन और उसके लागू होने के बाद भी पंचायत में दलितों और महिलाओं की भागीदारी समावेशी मानी जाएगी? जिन्हें पंचायत में आरक्षण मिला है उनकी सामाजिक स्थिति और उनके प्रति समाज का सामान्य नजरिया क्या है?

महिलाओं के प्रति समाज का पारम्परिक नजिरया – ग्रामीण वातावरण में आमतौर पर महिलाएं केवल घर के अंदर कामकाज के योग्य ही समझी गईं। पारम्परिक समाज में उन्हें केवल माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में परिभाषित किया गया। अर्थात उनकी पहचान पुरूषों के संदर्भ से उनके रिश्तों से जोड़कर की गई। आमतौर पर उन्हें घर–परिवार में लिए जाने वाले निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता है। परिवार में बेटी होने पर उसे ‘पराया धन’ ‘जिम्मेदारी’ ‘बोझ’ जैसे सम्बोधन दिये जाते हैं। विवाह के समय प्रायः उसे सीख दी जाती है कि, “इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है, उस घर से तुम्हारी अर्थी उठेगी”। जो गरीब वर्ग की महिलाएं घर से बाहर मजदूरी करतीं, उन्हें पुरूषों से कम मजदूरी दी जाती। मध्यम वर्ग की महिलाएं पर्दे में रहती हैं।

इस तरह अधिकांश महिलाओं को कभी घर से बाहर आकर समाज में कोई भूमिका निभाने के अवसर ही नहीं मिल पाते। उनके लिए सब कुछ पुरूष ही निर्धारित करते हैं। ऐसे में संविधान में संशोधन द्वारा पंचायत में महिलाओं को पहले कम से कम 33 प्रतिशत फिर कई राज्यों द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना एक क्रांतिकारी कदम था।

पंचायत में महिलाएं – महिलाओं को आरक्षण की सुविधा के कारण आरंभ में अधिकांश पंचायतों में गाँव के प्रभावशाली लोगों ने सत्ता में बने रहने के लिए अपने परिवार की महिलाओं को पंचायत चुनाव में खड़ा किया। इस तरह आरंभिक पंचायत चुनाव महिलाओं के बीच न होकर गांव के प्रभावशाली पुरूषों के बीच ही हुआ। पंचायत की बैठकों में भी चुनी हुई महिला के स्थान पर उनके परिवार के पुरूष जाने लगे। अधिकांश चुनी हुई विवाहित महिलाओं के पति पंचायत के निर्णयों को प्रभावित करने लगे। व्यवहार में नये शब्द 'पति पंचायत' ' सरपंच पति' आने लगे। ऐसा पुरूषों की ऐसी सोच के कारण हुआ कि –

- ☞ महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है;
- ☞ मेरे घर की महिला पंचायत में दूसरे आदमियों के साथ कैसे बैठ सकती है;
- ☞ वह सरकारी दफ्तर में अधिकारियों से कैसे बात करेगी;
- ☞ वह कम पढ़ी है, पंचायत का हिसाब-किताब कैसे रखेगी। उसे कोई भी मूर्ख बना देगा; आदि

प्रशिक्षणों में भी पुरूष अपने परिवार की पंचायत में चुनी हुई महिलाओं के स्थान पर प्रशिक्षण लेने लगे। गांव की पारम्परिक सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए शुरूआत में इन स्थितियों को स्वीकार कर लिया गया।

ग्राम सभा में भी महिलाओं की उपस्थिति नाम मात्र की होती। एक तो घरेलू काम की अधिकता के कारण वे समय नहीं निकाल पाती, दूसरा वे सोचती हैं कि पंचायत में जाकर वे क्या करेगी, वहाँ तो आदमियों का काम है। वे अपनी भागीदारी की उपयोगिता को इसलिए भी महत्व नहीं देती क्योंकि पंचायत की अधिकांश बातें और बहस परस्पर पुरूषों के बीच होती हैं। यदि महिलाएं ग्राम सभा में जाती भी हैं तो–

- ☞ घूँघट में जाती हैं और चुप बैठी रहती हैं।
- ☞ ग्राम सभा में बैठने के लिए अगर कुर्सियां और दरी दोनों होते हैं तो पुरूष कुर्सी पर बैठ जाते हैं और महिलाएं नीचे दरी पर बैठती हैं। उन्हें कोई कहता भी नहीं कि कुर्सी पर बैठो। इस तरह नागरिक के रूप में सामाजिक रूप से उन्हें नीचा दर्जा मिलता है।
- ☞ वे अपने घर के काम निपटाकर देर से जाती हैं और जल्दी उठकर आ जाती हैं क्योंकि उनकी यह धारणा होती है कि पंचायत में कोई भी निर्णय लेना पुरूषों का काम है।
- ☞ युवा परित्यक्ता या युवा विधवा महिलाएं समाज में उनके प्रति उपेक्षा और संशय के भाव के कारण सामाजिक रूप से कम गतिशील रहती हैं और इस कारण से वे ग्राम सभा की बैठकों में भागीदारी नहीं करतीं। इस तरह की परिस्थितियों में रह रही इक्का-दुक्का महिलाएं भी पंचायत में कोई भूमिका नहीं निभा पातीं और उपेक्षित हो जाती हैं।
- ☞ कई बार गांव की दलित महिलाएं, पीढ़ियों से मिले तिरस्कार के कारण ग्राम सभा में जाना निरर्थक समझती हैं और उनकी अनुपस्थिति पर ग्राम सभा में कोई ध्यान नहीं देता।

इस तरह पंचायत में महिलाओं की सीमित भागीदारी के लिए कई स्थितियां बन जाती हैं। विडम्बना यह है कि समाज के पुरूष उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों के प्रति तटस्थ रहते हैं। पंचायत और ग्राम सभा में महिलाओं की सीमित भागीदारी समावेश के स्थान पर वास्तव में अधिकांश महिलाओं के बहिर्वेश की स्थिति बताती है। दूसरे शब्दों में पंचायत में उनकी भागीदारी के प्रति उपेक्षा और तटस्थता का भाव ही रहता है।

दलित महिला पदाधिकारी और सामाजिक उपेक्षा - आरक्षण की सुविधा के कारण सरपंच और अन्य पदों पर चुनी गई दलित महिलाओं को अपने आपको स्थापित करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। गांव के सवर्ण और दबंग लोग एक दलित महिला को अपने गांव का मुखिया मानना स्वीकार नहीं कर पाते। वे जाति सूचक अपशब्दों से उनके आत्म-सम्मान को चोट पहुंचाकर उनके मनोबल को तोड़ते हैं। कई बार पंचायत अधिनियम की कुछ धाराओं का दुर्पयोग करके दलित महिला सरपंच को पद से हटवा देते या घबरा कर वे खुद पद से हट जातीं।

> लगभग 15 वर्ष पहले मध्य प्रदेश के एक गांव में, गांव के लोगों ने, जाति से दलित महिला सरपंच को 15 अगस्त को ध्वजारोहण नहीं करने दिया, जबकि वह उसका संवैधानिक अधिकार था। इस तरह अधिकार होते हुए भी वह सामाजिक उपेक्षा का शिकार बनी।

पंचायती राज व्यवस्था के 25 वर्ष हो गए हैं और समाज के नजरिए में पर्याप्त परिवर्तन आया है। अब पंचायत में महिलाओं की विभिन्न पदों पर चुने जाने को गांव के लोग स्वीकार करने लगे हैं। महिलाएं खुद भी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त कर सशक्त हो रही हैं। और गांव के विकास, विशेषकर सामाजिक विकास यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु सुरक्षा, पीने का साफ पानी जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रही हैं। महिलाएं अब पंचायत की बैठकों में खुद भाग लेने लगी हैं। महिला सरपंचों ने गांवों में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जैसे - सार्वजनिक संपत्तियों (स्कूल, सार्वजनिक भवन, चरनोई की जमीन आदि) से दबंगों का अनाधिक्रत कब्जा हटाना; किसी अन्य सदस्य द्वारा पंचायत में किए जाने वाले भ्रष्टाचार का विरोध करना; सरकारी अधिकारियों से गाँव के विकास के लिए सुविधाओं की माँग करना आदि। गांव की अन्य महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करना। महिलाओं को अब ये समझ में आ रहा है कि उनके योगदान से गांव की तस्वीर बदल सकती है। अब महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए वातावरण बनाने लगी हैं।

सशक्तिकरण एक धीमी प्रक्रिया है परंतु इसका प्रभाव एक तालाब में पत्थर फेंकने की तरह होता है। जब महिलाओं को अधिकार मिलता है तो उन्हें उपेक्षा, बहिर्वेश, हीनता के अंधकार से बाहर आने के अवसर मिलने लगते हैं। और वे दूसरी महिलाओं से संवाद करने लगती हैं; उन्हें और अधिक जानकारियाँ प्राप्त करने की जरूरत पड़ने लगती है। वे नई डिजिटल तकनीकी सीखने लगती हैं। परंतु अभी भी उनकी गतिशीलता किसी हद तक पुरूषों पर निर्भर करती है। आवश्यकता है की पुरूष अपनी मानसिकता और व्यवहार दोनों बदलें जिससे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के समावेश की स्थिति और बेहतर हो सके।

यद्यपि भारत के संविधान में शुरू से ही स्त्री और पुरूष को बराबरी का दर्जा दिया गया था फिर भी पारम्परिक लोग इसे मानसिक और सामाजिक रूप से और व्यवहार में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लंबे समय तक पित्रसत्तात्मक व्यवस्था के कारण समाज महिलाओं को पुरूषों से नीचे के दर्जे का मानता है। उन्हें हमेशा पुरूषों से कम महत्व देता है। उन्हें अनेक काम करने की मनाही कर दी जाती है। इससे अनेक क्षेत्रों में महिलाएँ पीछे रह जाती हैं। उनका कौशल और ज्ञान सीमित रह जाता है। महिलाएँ घर और काम के स्थल पर कई प्रकार की असमानताएं झेलती हैं और उसे कई प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए समय-समय पर संविधान में संशोधन करके कानून बनाकर, और न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णयों में महिलाओं को विशेष प्रकार की सुरक्षा और सुविधा दी गई। कुछ कानून निम्नलिखित हैं-

1. दहेज विरोधी कानून
2. पुरूषों के बराबर ही मजदूरी और वेतन का अधिकार
3. वंशानुगत संपत्ति में लड़के के बराबर ही अधिकार

4. घरेलू हिंसा के विरूद्ध अधिकार (शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हिंसा)
5. काम करने के स्थान पर किसी भी प्रकार की यौन अवमानना (बोलकर, देखकर, फोटो या चित्र दिखाकर, छू कर, बलात्कार करने) के विरूद्ध अधिकार
6. पति से तलाक या अलगाव की स्थिति में गुजारा-भत्ते का अधिकार
7. मुस्लिम महिलाओं को पति द्वारा एक बार में ही 'तीन तलाक' बोलकर तलाक देने के विरूद्ध अधिकार
8. गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच के विरूद्ध कानून

इसके अलावा शासन ने लड़कियों और महिलाओं को कुछ सुविधाएं दी हैं ताकि वे अधिक मात्रा में समावेशी समाज का हिस्सा बन सकें। कक्षा 9 से ग्रामीण लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल की सुविधा, लड़कियों को स्नातक तक की मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा में सीटों का आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण आदि।

विडम्बना यह है कि इतने प्रयासों के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की संख्या सर्वाधिक बताई जाती है। इससे महिलाओं के समावेश की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

दलित और आदिवासी पंचायत तथा समावेशिता – संविधान में पंचायती राज कानून के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी पंचायत में आरक्षण द्वारा पद निश्चित किए गए। एक कल्पना कीजिये कि यदि यह आरक्षण नहीं होता तो क्या इन्हें पंचायत का चुनाव लड़ने का अवसर मिल पाता? शायद नहीं। क्योंकि चुनाव वही लड़ रहे हैं जो सम्पन्न, पढ़े-लिखे हैं, उच्च जाति के हैं। अधिकांश दलित और आदिवासी समाज के लोग इन सारी विशेषताओं से वंचित हैं। वे वंचित इसलिए हैं क्योंकि शताब्दियों से उन्हें अवसरों की सुविधा से वंचित रखा गया। इसलिए संविधान द्वारा उन्हें आरक्षण दिया गया जिससे उनके लिए अवसरों के रास्ते खुल जाएँ और उनका विकास की मुख्य धारा में समावेशीकरण हो जाये।

समावेश बेहतर जीवन के लिये एक निरन्तर चलने वाला प्रयास है, यह तब ही संभव है जब उसे मौका मिले। आरक्षण यह मौका देता है। पंचायती राज में आरक्षण दलितों और आदिवासियों के आगे बढ़ने की कोशिश में आने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

परंतु सदियों से सुविधा सम्पन्न लोग अभी भी दलितों और आदिवासियों की सत्ता में भागीदारी को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। वे उन्हें सरपंच या उप सरपंच की जिम्मेदारी निभाने में बाधा डालते हैं। कई पंचायतों में दलित सरपंचों को दफ्तर में जाने नहीं दिया गया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए। उनके लिए अपमानजनक, जातिसूचक सम्बोधन का उपयोग किया गया। एक तरह से दलित और आदिवासी पंचायत पदाधिकारियों को संवैधानिक अधिकार के बाद भी सामाजिक रूप से असमावेशी स्थिति में रहना पड़ा। सामाजिक न्याय तभी पूरा होता है जब समाज में बड़े कहे जाने वाले लोगों और सबसे निचली सतह के लोगों को समान अवसर मिलें।

पंचायती राज व्यवस्था अभी तक के उपेक्षित और असमावेशी नागरिकों और समूहों को सुरक्षा और स्वीकृति देती है। संविधान में संशोधन के समय हमारे राजनैतिक नेतृत्व को ग्रामीण स्तर पर समाज के दो भागों में बटे होने का पूरा आभास था – एक पारम्परिक रूप से प्रभुत्व वाला समाज और दूसरा वंचित और बहिस्कृत समाज। किसी भी पारम्परिक

समाज में शक्तियों का समान वितरण नहीं होता। कुछ लोग अधिक शक्तिशाली होते हैं और कुछ के पास शक्तियां होती ही नहीं। परन्तु यदि शक्तियों का समान वितरण संवैधानिक रूप से किया जाये तो समय के साथ परिवर्तन आता है।

यह निश्चित किया गया कि यदि गांव के लोगों तक लोकतंत्र ले जाया जाये तो शक्तिशाली संस्थाओं का निर्माण होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अपने आप में सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। शक्तिशाली और दबंग ताकतों के मुकाबले लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा चुने हुए लोग, यह समावेशी भारत के भविष्य की तस्वीर बनाने की कोशिश थी। नई पंचायती राज व्यवस्था, पारम्परिक पंचायत व्यवस्था से जुड़े लोगों और शक्तिशाली लोगों के लिये एक चुनौती थी, बावजूद इसके कि उन्हें किसी प्रकार से वंचित नहीं किया गया था। उन्हें भी ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होने और बोलने के पर्याप्त अवसर थे।

नये युग के पंचायती राज ने लोकतंत्र में अधिकतम लोगों की भागीदारी से एक नये भारत के निर्माण की सम्भावनाओं का रास्ता खोला है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण उनके राजनैतिक सशक्तिकरण का रास्ता खुला है। पंचायती राज एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप है जहां चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच रहते हैं और इन्हें जवाबदेह बनाना ज्यादा आसान है और एक बेहतर लोकतंत्र की मजबूत बुनियाद खड़ी करना सम्भव है।

एक दलित महिला सरपंच के हौसले की कहानी

धापू बाई अनुसूचित जाति वर्ग की महिला हैं जो सिहोर जिले की ग्राम पंचायत बिजोरी में भारी मतों से सरपंच पद पर विजयी हुईं। सरपंच पद पर चुने जाने से पहले, वह पंचायत में पंच थी और उससे पहले सक्रिय स्वयं सहायता समूह की सदस्य थीं। अपने मजबूत नेतृत्व और साहस के कारण, उनकी पंचायत में हर पात्र व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा योजना में काम और उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन तक पहुंच है। पंचायत ने हर घर में पानी उपलब्ध कराने के लिये नलजल योजना का निर्माण कराया। सरकार द्वारा पंचायत को निर्मल ग्राम के रूप में भी पंचायत को सम्मानित किया गया। पंचायत में सड़कों के निर्माण के लिये पंचायत भूमि पर अवैध कब्जे हटाने जैसे मुश्किल काम धापू बाई के नेतृत्व में किये गये। ये सब उपलब्धियां धापू बाई के जनपद एवं जिला प्रशासन के साथ लगातार संघर्ष के परिणाम हैं। धापू बाई की पंचायत में उपसरपंच पुरूष व उच्च जाति से होने के साथ-साथ जिले के प्रभावशाली विधायक के परिवार से हैं। आरक्षित सीट होने के कारण उन्होंने अपने उम्मीदवार के रूप में एक महिला को चुनाव में भी खड़ा किया, लेकिन धापू बाई की स्वच्छ छवि के सामने वह भारी मतों से हार गई। पूर्व पंचायत सचिव भी उपसरपंच के प्रभाव में काम करता था, जिसकी शिकायत धापू बाई द्वारा स्थानीय विधायक जो एक मंत्री भी हैं से की गई, उन्होंने सचिव का स्थानांतरण अन्य पंचायत में कराया।

उपसरपंच ने एक रोड निर्माण के मामले में धापू बाई के साथ दुर्व्यवहार किया। जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज करायी। संयोगवश थाना प्रभारी ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति थे, उन्होंने धापू बाई की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले को जिला कोर्ट में भेजा। धापू बाई को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिये सरकारी वकील पर निर्भर होना पड़ा जबकि विरोधी पक्ष पैसे की दम पर बेहतर वकील के माध्यम से अपने को निर्दोष सावित करने में सफल रहा। लेकिन इस तरह की घटनाएं भी धापू बाई के साहस और हौसले को कमजोर नहीं कर पायी। वह अभी भी पूर्ण ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं, एक जीर्ण से घर में रहती हैं, कृषि का काम कर अपनी आजीविका चलाती हैं। पढ़ी-लिखी नहीं हैं लेकिन किसी भी दस्तावेज को समझे बिना हस्ताक्षर नहीं करती हैं।

सरपंच मुन्नी बाई की कहानी

मुन्नी बाई अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला हैं, जो म.प्र. की राजधानी भोपाल से लगभग 150 किमी दूर विदिशा जिले की मंडी बमोरा पंचायत में सरपंच पद पर निर्वाचित हुईं। मंडी बमोरा 20 वार्ड वाली एक बड़ी पंचायत है, जिसमें 10 महिला पंचायत प्रतिनिधि हैं। मुन्नी बाई ने बताया कि मैंने महिलाओं के लिये आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा था। जून 2015 में मैंने जब सरपंच का प्रभार लिया तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि भूतपूर्व सरपंच और वर्तमान उपसरपंच ने मेरी आंखों के सामने सरपंच की कुर्सी को तोड़ डाला। उसने मेरे साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। मुन्नी बाई ने इस मामले को लेकर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायी लेकिन पुलिस द्वारा त्वरित कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

प्रदेश में ऐसे कई सरपंच हैं जो धापू बाई और मुन्नी बाई जैसी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने को एक आदर्श प्रतिनिधि साबित करने के लिए सामाजिक, प्रशासनिक और व्यवहारिक बाधाओं से संघर्ष कर रहे हैं। जिन्हें समाज या प्रशासनिक तंत्र से किसी संवेदनशील और ईमानदार व्यक्ति का सहयोग मिल जाता है वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं।

देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार हैं।

पंचलैट (पंचलाइट)

(यह कहानी हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी का संक्षिप्त रूप है)

बात पुराने जमाने की पंचायत की है। पंचायत जाति के आधार पर अलग-अलग टोले में बनती थी। हर जाति की अलग पंचायत होती थी। उस समय गांव में बिजली भी नहीं आई थी। सभी पंचायतों को दरी, जाजिम के साथ पेट्रोमैक्स की व्यवस्था करनी पड़ती थी। पेट्रोमैक्स को पंचलैट याने पंचायत की लालटेन कहते थे। सभी पंचायतें पंचलैट खरीद चुकीं थी, पर महतो टोली के पास नहीं थी। जैसे-तैसे पैसे इकट्ठे कर महतो टोली के लोगों ने भी पंचलैट खरीद ली। सबने मिलकर तय किया कि पूजा-अर्चना करके भजन के साथ पंचलैट जलाई जायेगी। मिट्टी का तेल भी खरीद लिया गया, पूरी तैयारी हो गई। फूल-हार, बतासा भी आ गया और पूरा टोला जुड़ गया।

लेकिन ....लेकिन ऐन मौके पर ....'लेकिन' लग गया ! उत्साह में टोले के लोग भूल गये कि पंचलैट जलाना तो किसी को आता ही नहीं, अब क्या करें? दूसरे टोले के लोग हंसी उड़ा रहे थे। महतो टोले के मुखिया की बदनामी हो रही थी। हरेक पंचायत में पंचलैट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन........ महतो टोले में तो किसी को जलाना नहीं आता। परन्तु गुलरी काकी की बेटी मुनरी जानती थी कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है। मुनरी को भी अपने टोले की इज्जत प्यारी थी, उसने अपनी सहेली से काकी को यह खबर भिजवाई। काकी ने यह बात मुखिया को बताई। मुखिया जी चौंक गये और उन्होंने कहा "गोधन जानता है जलाना? लेकिन, गोधन का तो हुक्का पानी पंचायत से बंद है। लेकिन ....अब पंचायत की इज्जत का सवाल है"।

गोधन दूसरे गांव से आकर बसा है, सलीमा का गीत गाता है। बस पंचों को मौका मिला दस रूपया जुर्माना नहीं देने पर उसका हुक्का-पानी बंद कर दिया, अब तक पंचायत से बाहर है गोधन। उससे कैसे कहा जाए? मुखिया ने कहा "जाति की बंदिश क्या, जब पंचायत कि इज्जत ही पानी में बही जा रही है" पंचों ने भी एक स्वर में कहा "ठीक है, गोधन का हुक्का-पानी खोल दिया जाये"। मुखिया ने छड़ीदार को गोधन को बुलाने के लिये भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला "गोधन आने के लिये राजी नहीं है, पंचों की क्या मालूम? कोई कलपुर्जा बिगड़ गया तो मुझे ही जुर्माना भरना पड़ेगा"।

किसी तरह से गोधन को राजी करवाना जारी था, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अंत में गुलरी काकी ही गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नयी आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। स्प्रिट के बिना ही उसने गरी के तेल से पंचलैट को जला दिया। सब कहने लगे "गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्प्रिट के ही पंचलैट जला दिया।" गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुखिया ने गोधन को प्यार से पास बुलाकर कहा "तुमने पंचायत की इज्जत रखी है। खूब गाओ सलीमा का गाना।"

महिलाओं के समावेशीकरण के लिए सामूहिक गायन

तू खुद को बदल, तू खुद को बदल,
तब ही तो जमाना बदलेगा....
दरिया की कसम, मौजौं की कसम
यह ताना– बाना बदलेगा
तू खुद को बदल, तू खुद को बदल
तब ही तो जमाना बदलेगा ....
तू चुप रहकर जो सहती रही तो
क्या यह जमाना बदला है ....
तू बोलेगी, मुंह खोलेगी
तब ही तो जमाना बदलेगा
दरिया की कसम ...
दस्तूर पुराने सदियों के
वे आये कहाँ से, क्यों आये ...
कुछ तो सोचो
कुछ तो समझो
यह क्यों हैं तुमने अपनाए
दरिया की कसम ...
यह पर्दा कैसा पर्दा है
क्या यह मजहब का हिस्सा है .....
कैसा मजहब, किसका पर्दा
यह सब मर्दों का किस्सा है
दरिया की कसम .....
आवाज उठा, कदमों को मिला
रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा ...
फिर सारा जमाना बदलेगा
तू खुद को बदल, तू खुद को बदल
तब ही तो जमाना बदलेगा ....
दरिया की कसम ....

समर्थन के बारे में

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो वर्ष 1996 से देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो जिससे समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित पैरवी करना भी संस्था का प्रमुख कार्य है।

Website: www.samarthan.org

टीआरआई के बारे में

ट्रांसफार्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRI) एक गैर–शासकीय पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाने वाले महत्त्वपूर्ण सूचकांकों में आशावादी बदलाव लाना है। इसे प्राप्त करने हेतु TRI जमीनी स्तर पर कार्य कर रही उन गैर सरकारी संस्थाओं को सहयोग करती है, जिनका मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाना है।

TRI 'समुदाय केन्द्रित' की अवधारणा पर काम करता है, इसका मतलब यह है कि समुदाय स्वयं विकास–रथ का सारथी बनने के लिए उद्वेलित हो तथा सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित हो। स्थाई सकारात्मक परिवर्तन के लिए हम विकास के विभिन मूलभूत आयामों जैसे कि आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्तिगत जवाबदेही एवं सामुदायिक नेतृत्व पर एक साथ काम करते हैं।

Website: www.trif.in

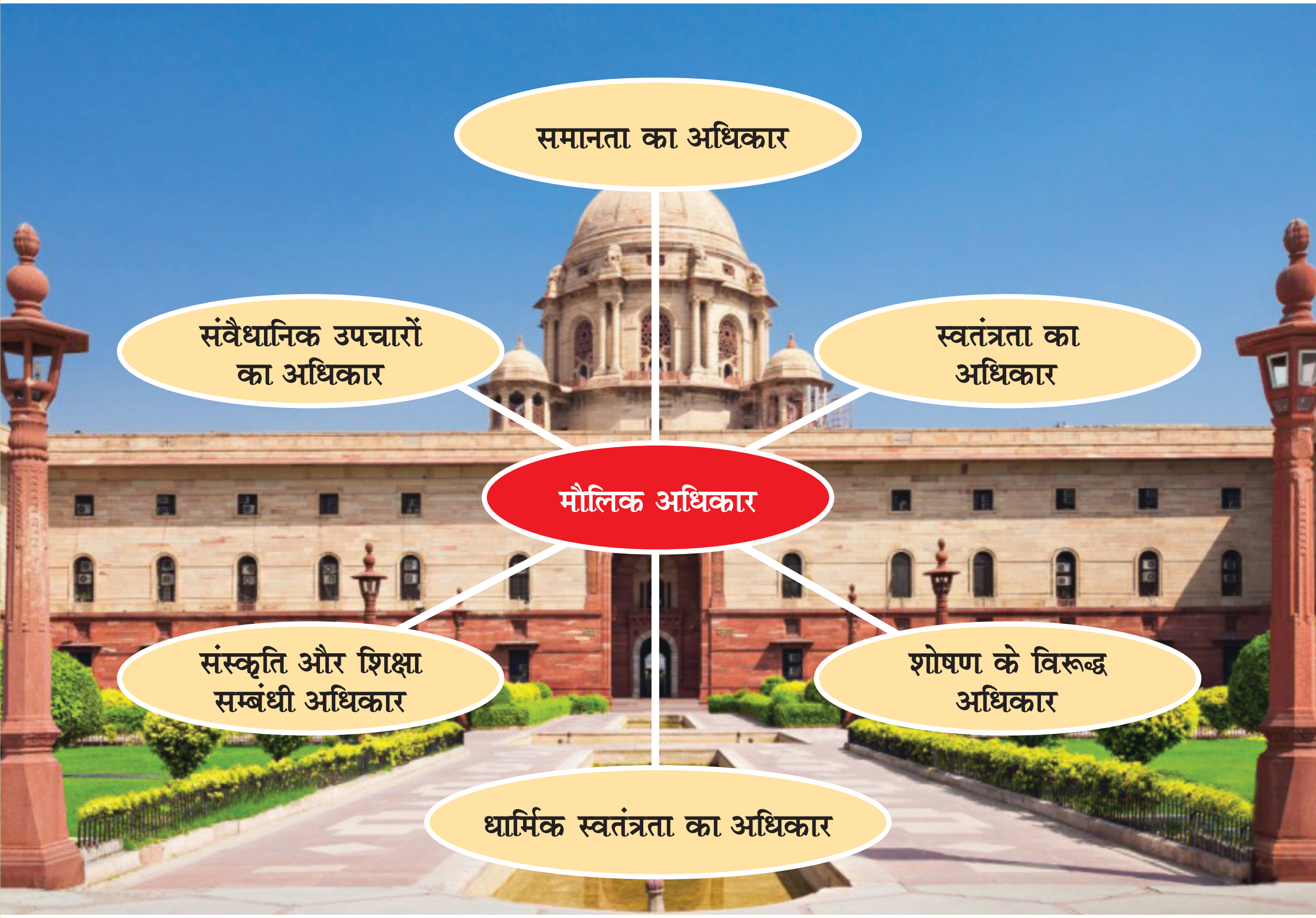

मौलिक अधिकार

समानता का अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार

शोषण के विरूद्ध अधिकार

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

संस्कृति और शिक्षा सम्बंधी अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इन्डिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ)
प्रधान कार्यालय : 3, कम्युनिटी शॉपिंग सेन्टर, नीति बाग, नई दिल्ली-49
वेबसाइट - www.trif.in

स म र्थ न

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)
प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल-462016
ई-मेल info@samarthan.org, वेबसाइट - www.samarthan.org